7976144702
Dean.coalalsot@sknau.ac.in

कृषि महाविद्यालय, लालसोट
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)

क्रमांक / एफ / फार्म / कृमला / 2024 / 1707–13 दिनांक 06.06.2024

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2024 व रबी 2024–25 के लिए दिनांक 14.06.2024 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदाएं आंमत्रित की जाती है एवं निविदाएं इसी दिन अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट कार्यालय में दोपहर बाद 2.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तो की जानकारी इस केन्द्र से पॉच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ चोबीस हजार रु. धरोहर राशि जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई हैं। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 14.06.2024 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, कृषि महाविद्यालय–लालसोट (दौसा)
3. श्रीमान् राजस्थान समवाद,,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
4. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविधालय, की बेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. सूचना पट्ट, कार्यालय
6. आरक्षित प्रति

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय–लालसोट

(एस.के.एन.राजस्थाान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर)

निविदा सूचना क्रमांकः क्रमांक / एफ / फार्म / कृमला / 2024 / 1707–13 दिनांक 06.06.2024

1. योजना का नाम :	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2024 व रबी 2024–25
4. निविदा फार्म का मूल्य	500 / –रुपये रसीद नं. दिनांक
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	24000 / –रुपये

6. निविदादाता / कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरणः

गेहुँ, जौ, चना, मुगफली, ग्वार, बाजरा व अन्य फसलें	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	
	दाना / बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	
सरसों / तारामिरा	भूसा	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	
	दाना / बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	

निविदा शर्तेः–

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धित डिजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा। सीड ड्रिल व अन्य फार्म मशीनरी व औजर केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उरर्वक, विडिसाइड, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्वर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति है. प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगी। केन्द्र पर स्थित ट्रेक्टर का वाहन चालक कार्य निविदादाता को करना होगा।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें।

अधिष्ठाता

4.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फब्बारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखत रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें। नहीं लोटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
6.	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रूपये के रूप में दिये जाने का निर्णय अधिष्ठाता द्वारा किया जाएगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के एक सप्ताह पूर्व तथा एक सप्ताह बाद के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
7.	फार्म पर कृषि कार्यो के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना होनें, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधिष्ठाता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
8.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदाता को ही करनी होगी। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व अधिष्ठाता से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
10.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता को होगा ।
11.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एव कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
12.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय घ्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 1 क्विंटल से अधिक नहीं हो।
13.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा एवं डीजल खर्च स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
14.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा
15.	ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन सें सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदाता स्वयं को करनी होगी।

अधिष्ठाता

16.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरिस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
17	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
18.	जमा राशी पर ब्याज देय नहीं होगा।
19	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा।
20.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
21..	सफल निविदाता को पांच सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टापं पेपर पर शपथ देना होगा।
22.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आसपास खरपतवार व अन्य अंवाछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदाता से वसूला जावेगा।
23.	निविदाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करनें होगें।
24.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश अधिष्ठाता दे सकेगें। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य सन्तोशजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती है।
25.	निविदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगें।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है तथा
मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

कॉन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर व पता दिनांक सहित

अधिष्ठाता